कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)
इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
कार्मिक योजना अनुभाग

सत्यमेव जयते

सं का.यो.अ./3-13/वा.अ.स.रिटर्न/2005-21/469 **दिनांक: 28.12.2020**

परिपत्र सूचना

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18 (1) की धारा (ii) के अनुसार सभी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को कैलेन्डर वर्ष 2020 की अचल सम्पत्ति के संबंध में जो कि उसके द्वारा वंशागत रूप से प्राप्त या स्वामित्व में या उसके द्वारा अर्जित या उसके द्वारा पट्टा विलेख पर रखी गई या उसके अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गिरवी है, उसका पूर्व विवरण देते हुए सभी अनुभाग अचल सम्पत्ति की वार्षिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र में निश्चित रूप से कार्मिक योजना अनुभाग में **दिनांक 31.01.2021 तक** प्रस्तुत करें ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18 के अंतर्गत भारत सरकार के आदेश (23) की अपेक्षित अनुपालना में सरकारी कर्मचारी के द्वारा चूक होना उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई आरम्भ करने के लिए उचित और पर्याप्त कारण हो सकता है । जो कर्मचारी समय पर विवरणी प्रस्तुत नहीं करेंगे या विवरणी में गलत सूचना देंगे उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

(DoPT O.M. No. 11013/12/93-Estt. (A) dated 24 January 1994)

प्रवीन सक्सेना 28/12/20

उप-निदेशक (प्रशासन)

1. समस्त वर्ग अधिकारी का. महानिदेशक लेखापरीक्षा, (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास) नई दिल्ली, का. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (गृह, कल्याण एवं ग्रामीण विकास) नई दिल्ली, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली एवं का. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, नई दिल्ली के अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्त की अनुपालाना निश्चित करवाने हेतु ।
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
3. सभी नोटिस बोर्ड ।
4. सचिव, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) ।
5. सचिव, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) ।
6. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, नई दिल्ली
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), का. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, नई दिल्ली
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (Data Analytic Wing) कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।